

८. सविनय अवज्ञा आंदोलन

लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधीजी ने अंग्रेज सरकार के सम्मुख कई माँगें रखी थीं। उनमें एक प्रमुख माँग यह थी कि नमक पर लगा हुआ कर रद्द करें और नमक बनाने का सरकारी एकाधिकार समाप्त करें। परंतु सरकार ने गांधीजी की माँगें ठुकराई। अतः गांधीजी ने नमक का कानून तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया।



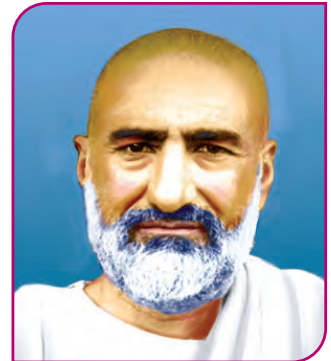
दांडी यात्रा

नमक आम आदमी के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः नमक जैसी जीवनावश्यक वस्तु पर कर लादना अन्यायकारी था। इसलिए गांधीजी ने नमक का सत्याग्रह किया। नमक का सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। इसके पीछे अंग्रेज सरकार के अन्यायकारी और अत्याचारी कानून को शांति और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भंग करना; यह व्यापक उद्देश्य था।

नमक का सत्याग्रह करने के लिए गांधीजी ने गुजरात के किनारे दांडी नामक स्थान को चुना। १२ मार्च १९३० ई. को गांधीजी ७८ स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े। लगभग ३८५ किमी की पदयात्रा में उन्होंने गाँव-गाँव में भाषण किए। अपने भाषणों में उन्होंने जनता को निर्भीक होकर अवज्ञा आंदोलन में

सम्मिलित होने का आवाहन किया। गांधीजी के भाषणों के फलस्वरूप अवज्ञा भंग का संदेश सभी ओर फैल गया। ५ अप्रैल १९३० ई. को गांधीजी दांडी पहुँचे। ६ अप्रैल को गांधीजी ने दांडी के समुद्र किनारे का नमक उठाकर कानून का भंग किया और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ।

पेशावर का सतह : पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ गांधीजी के निष्ठावान अनुयायी थे। वे 'सरहद गांधी' के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने 'खुदा-ए-खिदमतगार' नामक संगठन की स्थापना की थी। २३ अप्रैल १९३० ई. को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ किया। पेशावर शहर लगभग एक सप्ताह तक सत्याग्रहियों के नियंत्रण में था। सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। परंतु गढ़वाल पलटन के अधिकारी चंद्रसिंह ठाकुर ने गोली चलाने से इनकार किया। अतः उन्हें सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया।



खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ

महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार के सम्मुख संकट उपस्थित हुआ। ४ मई १९३० ई. को गांधीजी को बंदी बनाया गया। पूरे देश में दमननीति का अवलंब किया गया। गांधीजी को बंदी बनाए जाने की संपूर्ण देश में निंदा और भर्त्सना की गई।

सोलापुर का सतह : सोलापुर में हुए सत्याग्रह में मिल श्रमिक अग्रसर थे। ६ मई १९३० ई. को सोलापुर में हड़ताल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोलापुर में विशाल जुलूस

निकाला गया। तत्कालीन कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में शंकर शिवदारे के साथ कई स्वयंसेवकों की मृत्यु हुई। परिणामस्वरूप जनता ने पुलिस थानों, रेल स्टेशन, न्यायालयों, म्यूनिसिपल इमारतों आदि पर धावा बोला। सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात् सैनिकी कानून लागू किया। आंदोलन को दबाया गया। इस आंदोलन में मल्लाप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण सारडा, कुरबान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे अग्रसर थे। उन्हें फाँसी दी गई।



मल्लाप्पा धनशेट्टी



श्रीकृष्ण सारडा



कुरबान हुसैन



जगन्नाथ शिंदे

धरसाणा सतह : गुजरात के धरसाणा में सरोजिनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नमक कानून तोड़ने के लिए निकले हुए सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठी चलाई। सत्याग्रही भी बड़ी शांति से लाठियों के प्रहार सह रहे थे। घायल हुए सत्याग्रहियों की टुकड़ी को मरहम-पट्टी करने ले जाने के पश्चात सत्याग्रह करने (नमक कानून



सरोजिनी नायडू

तोड़ने) के लिए दूसरी टुकड़ी आगे बढ़ती। यह क्रम निरंतर चल रहा था। महाराष्ट्र में वडाला, मालवण, शिरोड़ा स्थानों पर सत्याग्रह किया गया।

जहाँ नमकसार नहीं थे; वहाँ लोगों ने जंगल से संबंधित कानून तोड़ना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में बिलाशी, संगमनेर, कलवण, चिरनेर, पुसद आदि स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। आदिवासियों ने बड़ी संख्या में जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया।

बाबू गेनू का बलदिन : मुंबई में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। विदेशी वस्तुओं की दुलाई करने वाले वाहनों को आंदोलनकारी रोक रहे थे। मुंबई की मिल में काम करने वाले बाबू गेनू सैद इस आंदोलन में अग्रसर थे। एक ट्रक विदेशी वस्तुओं को पुलिस बंदोबस्त में ले जा रहा था। बाबू गेनू उस ट्रक के आगे आ गए और ट्रक को रोकने के लिए वे सड़क पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी। फिर भी वे



बाबू गेनू



क्या तुम जानते हो ?

अवज्ञा आंदोलन (कानून तोड़ना) की विशेषताएँ :

- अब तक के आंदोलन शहरों तक सीमित थे परंतु यह आंदोलन देशव्यापी बना। गाँव-देहातों में जनता ने अपना सहभाग दर्ज किया।
- इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा सहभाग रहा। कस्तूरबा गांधी, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अवंतिकाबाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
- यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक पद्धति से चलाया गया। अंग्रेज सरकार ने जबर्दस्त दमनतंत्र का अवलंब किया। फिर भी जनता ने निःशस्त्र रूप में प्रतिकार किया। फलतः भारतीय जनता निर्भय बनी।

अपने स्थान से हिले नहीं। अंत में ट्रक उनके शरीर को कुचलकर आगे बढ़ गया। इस घटना में बाबू गेनू ने अपना बलिदान दिया। बाबू गेनू का बलिदान राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायी रहा।

गो मेज परषद : जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड ने यह विचार रखा कि भारत से जुड़े संवैधानिक समस्याओं का विचार किया जाना चाहिए; इसके लिए उन्होंने लंदन में एक परिषद का आयोजन किया। इस परिषद को गोलमेज परिषद कहा जाता है। १९३० ई. से १९३२ ई. के बीच तीन गोलमेज परिषदों का आयोजन किया गया।

थम गो मेज परषद : रैम्से मैकडोनाल्ड प्रथम गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे। इस परिषद में भारत तथा इंग्लैंड के विविध प्रतिनिधि उपस्थित थे। उनमें डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना आदि का समावेश था। इस परिषद में केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन पद्धति, भारत में संघराज्य की स्थापना जैसे विविध विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इस परिषद में विविध राष्ट्रीय दलों और रियासतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे परंतु इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस देश की प्रातिनिधिक संस्था थी। उसके सहभाग के बिना गोलमेज परिषद में हुई चर्चा विफल रही।

गांधी-इरविन समझौता : गोलमेज परिषद के दूसरे चरण की चर्चा में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होगी; यह आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्यक्त की। प्रधानमंत्री के आवाहन को ध्यान में रखकर वायसराय ने गांधीजी और अन्य नेताओं को कारावास से रिहा किया। राष्ट्रीय कांग्रेस मुक्त रूप से चर्चा कर सके; इसके लिए अनुकूल वातावरण निर्माण किया गया। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ। इसी को गांधी-इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में जिस शासन

पद्धति को स्वीकार किया; उसे मान्य करने का आश्वासन दिया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज परिषद की चर्चा में सहभागी होना स्वीकार किया।

द्वितीय गो मेज परषद : १९३१ ई. में द्वितीय गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया। इस परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी उपस्थित थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ-साथ भारत को विभिन्न जातियों-जनजातियों, दलों तथा रियासतदारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। गोलमेज परिषद में सरकार ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उपस्थित किया। इस मुद्दे को लेकर और भावी संघराज्य के संविधान के स्वरूप को लेकर मतभेद निर्माण हुए। गांधीजी ने सभी में एकमत निर्माण करने का प्रयास किया परंतु वे विफल रहे।



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

अंततः निराश होकर गांधीजी भारत लौट आए।

पुणे समझौता : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने गोलमेज परिषदों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। उनमें उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की माँग की थी। द्वितीय गोलमेज परिषद के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड ने जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की। तदनुसार हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था और ऐसा विभाजन गांधीजी को मान्य नहीं था। अतः उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध येरवडा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर से उनके द्वारा की गई माँग पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। १९३२ ई. में महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के बीच पुणे में

समझौता हुआ। यह समझौता 'पुणे समझौता' के रूप में प्रसिद्ध है। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर आरक्षित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया।

तीसरी गोलमेज परिसद : नवंबर १९३२ ई. में इंग्लैंड में तीसरी गोलमेज परिषद बुलाई गई। परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद का बहिष्कार किया। परिणामस्वरूप यह परिषद विफल रही।

स नय १ आंदोलन का दूसरा चरण : द्वितीय गोलमेज परिषद से गांधीजी उद्विग्न मन से भारत लौटे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। सरकार ने गांधीजी

को तुरंत बंदी बना लिया। परिणामतः जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ।

सरकार ने इस आंदोलन को अमानुष दमननीति से उत्तर दिया। सभी ओर नागरिकों के अधिकारों को कुचला गया। राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित किया गया। उनके कार्यालयों और राशियों को अपने नियंत्रण में कर लिया गया। राष्ट्रीय समाचारपत्रों और साहित्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया। अंततः अप्रैल १९३४ ई. में गांधीजी ने आंदोलन स्थगित किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐतिहासिक युग समाप्त हुआ।

स्वाध्याय

१. ए गए प स उ प चुनकर क् न पुनः खो।

(महात्मा गांधी, खुदा-ए-खिदमतगार, रैम्से मैकडोनाल्ड, सरोजिनी नायडू)

- (१) लंदन में ने गोलमेज परिषद का आयोजन किया था।
- (२) खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ ने संगठन की स्थापना की थी।
- (३) धरसाणा सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया।
- (४) द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

२. क् को कारणस स करो।

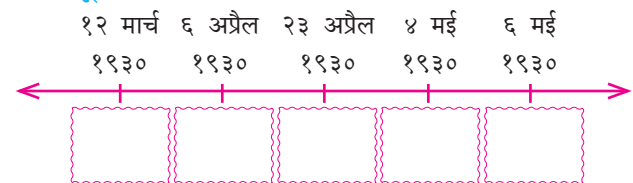
- (१) चंद्रसिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया।
- (२) सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात् सैनिकी कानून लागू किया।
- (३) प्रथम गोलमेज परिषद विफल रही।
- (४) गांधीजी ने येरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया।

३. न के उत्तर २५ स ३० शब्द खो।

- (१) गांधीजी ने नमक कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय क्यों किया?

(२) राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित क्यों किया?

४. स नय १ आंदोलन की कालरखा को पू करा।



- (१) सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न व्यक्तियों के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर छायाचित्रों के साथ कक्षा में प्रदर्शित करो।
(अ) सरोजिनी नायडू (ब) खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ (क) बाबू गेनू सैद
- (२) पाठ में उल्लिखित सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थानों को भारत के मानचित्र प्रारूप में दर्शाओ।

